



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082025-265557
CG-DL-E-20082025-265557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3709]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947

No. 3709]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 3813(अ).— केंद्र सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दिनांक 12.11.2024 के प्रमाणपत्र संख्या डीआईएल/1/121/2024-एमयूएम के तहत प्रमाणित मराठी फिल्म "खालिद का शिवाजी" का प्रदर्शन एक माह या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक निलंबित किया जाएगा।

[फा. सं. एम-11021/24/2025- डीओ(एफसी)]

सी. सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 3813(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby directs that the exhibition of the Marathi film titled “Khalid Ka Shivaji”, certified by the Central Board of Film Certification vide Certificate No. DIL/1/121/2024-MUM dated 12.11.2024, shall be suspended by one month, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. M-11021/24/2025-DO(FC)]

C. SENTHIL RAJAN, Jt. Secy.